भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2093
09.12.2024 को उत्तर के लिए

पर्यावरणीय संस्थाओं का कमजोर होना

2093. श्रीमती प्रतिमा मण्डल :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति जैसी पर्यावरणीय संस्थाओं को कमजोर करने के संबंध में की जा रही आलोचना को स्वीकार करती है, यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी प्रभावकारिता और स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और जैव-विविधता अधिनियम में मुख्य संशोधन सार्वजनिक परामर्श से किए गए थे, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भावी विधायी परिवर्तनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपनी स्थापना के समय अर्थात दिनांक 18.10.2010 से ही पर्यावरणीय संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों सहित वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं त्वरित निपटान के लिए कार्य करता रहा है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत एवं मुआवजा प्रदान करने तथा उससे संबद्ध एवं आनुषंगिक मामले भी आते हैं। सरकार ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/95 में आईए सं. 196062 और 174896/2019 में आए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18.8.2023 के आदेश के अनुपालन में एक केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी), जो एक स्थायी प्राधिकरण है, का गठन किया है। ये दोनों स्वतंत्र संस्थाएं अपनी-अपनी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के निष्पादन में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, जनता, गैर-सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, राज्य सरकारों, मंत्रालयों/सरकारी एजेंसियों सहित संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके तथा यथोचित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और जैव-विविधता अधिनियम में संशोधन किए गए हैं।

*****